

एक्सि बकैं स्मार्ट पे कार्ड को नियंत्रित करि वाले नियम और शर्तें

(महत्वपूर्ण) - कृपया सनिश्चित करें कि आप एक्सिस बकैं स्मार्ट पे कार्ड का उपयोग करि से पहले डि स्मार्ट पे कार्ड नियमों और शर्तों को ध्यान से पढ़ ललया है। स्मार्ट पे कार्ड का उपयोग करके आप यहां सिबद्ध नियमों और शर्तों को बिबि शर्तण स्वीकार कर रहे हैं और डिसे बांधे रहेंगे और आप भारतीय ररज़वण बकैं (आरबीआई) के सांगत ववनियमों, भारतीय ररज़वण बकैं के ववनियम नियंत्रण ववनियमि, अधधनियम के अंतगतण बिाए गए सभी नियमों और ववनियमों तथा समय-समय पर यथा सांशोधधत/सांशोधधत/लागू तथा समय-समय पर लागू ककसी भी अि्य सांगत अधधनियमि का अिपालि सनिश्चित करि की श्मिदेदारी स्वीकार करते हैं। आप एक्सिस बकैं के साथ अपि स्मार्ट पे कार्ड के सांलि के नियमों और शर्तों से भी बांधे रहेंगे।

पररभाषाएँ

1. "बकैं", "एक्सिस बकैं", का अथण है एक्सिस बकैं लललमर् और डिसे उत्तराधधकारी और समिदलशती।
2. "कार्ड" या "स्मार्ट पे कार्ड", एक्सिस बकैं वीज़ा/मास्टरकार्ड/रुपे रोमेश्क अपि लपू स्मार्ट पे कार्ड को सांदलभतण करता है िो एक्सिस बकैं द्वारा कार्डण ारक को िारी ककया िाता है।
3. "कार्डण ारक", "आप", "आपका", "डिसे" या डिसी तरह के सविण ाम, िहां सांदभण डि प्रकार स्वीकार करते हैं, एक्सिस बकैं के एक ग्राहक को सांदलभतण करेगा, श्मिसे एक्सिस बकैं द्वारा एक्सिस बकैं स्मार्ट पे कार्ड िारी ककया गया है। एक ललगां में कार्डण ारक के सभी सांदभों में अन्य ललगां भी शालमल होंगे।
4. "एर्रीएम", भारत में स्वललत रेलर मशीि को सांदलभतण करता है, िाहे वह एक्सिस बकैं का हो, या ककसी अन्य बकैं का साझा िेर्वकण हो, श्मिस पर अन्य िीिों के साथ-साथ, कार्डण

ारक एशससस बकैं के साथ आयोश्ित अपि स्मार्ण पे कार्ण में सांग्रहीत धि का उपयोग करि के ललए अपि स्मार्ण पे कार्ण का उपयोग कर सकता है।

5. "वपि" का अथण है व्यशसतगत पहिाि सांख्या (एर्ीएम तक पहांििे के ललए आवचयक) एशससस बकैं द्वारा कार्धण ारक, समय-समय पर उसके द्वारा ििाु गया।
6. "लेिदेि", का अथण है कार्धण ारक द्वारा सीधे अपि कार्ण का उपयोग करके या अप्रत्यक्ष रूप से, एशससस बकैं को स्मार्ण पे कार्ण पर कारणवाई करि के ललए। (लेिदेि के उदाहरर् हो सकते हैं)
खदराु खरीद, िकद निकासी।
7. "व्यापारी" या "व्यापारी प्रनतष्ठाि" का अथण ऐसे प्रनतष्ठाि होंगे, िहां वे श्स्थत हैं िो कार्ण स्वीकार/सम्माि करते हैं और िमें अन्य के साथ-साथ एशससस बकैं या वीज़ा//मास्रकार्ण/रुपे इांरिशिल द्वारा ववज्ञावपत दकािेु , रेस्तरां, एयरलाइि सांगठि आदद शालमल होंगे।
8. "ईर्ीसी" या "इलेसरॉनिक र्ेर्ा कै पर्ि" इलेसरॉनिक पॉइां-ऑफ-सेल स्वाइप लमिण लों को सांदलभतण करता है, िाहे वह एशससस बकैं या साझा िेर्वकण पर ककसी अन्य बकैं का हो, िो व्यापारी प्रनतष्ठािों से खरीद लेिदेि के ललए कार्ण खाते से रेबबर् करि की अिमनतु देता है।
9. "वीज़ा", का अथण है वीज़ा के स्वालमत्व वाला और सामान्य रूप से िडाु हुआ रेर्माकण ।
10. "वीज़ा एर्ीएम िेर्वकण" का अथण है एर्ीएम िो स्मार्ण पे कार्ण का सम्माि करते हैं और िो वीज़ा प्रतीकों को प्रदलशतण करते हैं।
11. 'रुपे' का अथण है भारतीय राष्ठीय भगतािु निगम (एिपीसीआई) के स्वालमत्व वाला रेर्माकण
12. 'मास्रकार्ण', का अथण है मास्रकार्ण के स्वालमत्व वाला रेर्माकण

स्मार्ण पे कार्ण ("कार्ण") एशससस बकैं लललमर्ेर, ("एशससस बकैं लललमर्ेर") द्वारा िारी ककया िाता है, श्िसमें बत्रशलू, समथेचवर मांददर के सामि, लॉ गार्णि, एललस बि, (क) में उशललखखत पत्रों को सभा पर्ल पर रखि में हुए ववलांब के कारर्ों को दशाणि वाला वववरर्।

कार्ट की वैधता और कार्धट ारक दानयत्व

1. कार्ण िारी करिा और उपयोग समय-समय पर लागू नियमों और ववनियमों के अधीं होगा िैसा कक भारतीय ररज़वण बकैं और एशससस बकैं द्वारा िारी ककया गया है।
2. कार्ण के वल भारत में लेिदेि ववकलपों के ललए मान्य होगा, िैसा कक बकैं द्वारा समय-समय पर एशससस बकैं के एर्ीएम और व्यापाररक प्रनतष्ठािों में वीज़ा/मास्रकार्ण/रुपे इलेसरॉनिक पॉइं-ऑफ-सेल स्वाइप लमिण लों पर अिमनतु दी गई है।

कार्ण हर समय एशससस बकैं की सांपवत्त है और रहेगा और एशससस बकैं के अिरोधु पर बबिा शतण और तरांतु एशससस बकैं को वापस कर ददया िाएगा।

कार्धण ारक से अिरोधु है कक वह यह सनिश्चितु कर ले कक कार्ण सौपि से पहले बकैं के अधधकारी की पहिाि स्थावपत कर ली गई है।

स्मार्ण पे कार्ण ककसी भी पररश्स्थनत में कार्धण ारक द्वारा हस्तांतरर्ीय या असाइ करि योग्य िहीं है।

5. आपको रसीद लमलि पर तरांतु कार्ण पर हस्ताक्षर करिा होगा। आपको ककसी अन्य व्यश्सत को इसका उपयोग करि की अिमनतु िहीं देिी िादहए और कार्ण को हर समय अपि व्यश्सतगत नियांत्र में रखकर कार्ण के दरुपयोगु से सरक्षक्षतु रखिा िादहए.
6. कार्ण के साथ प्रयोग के ललए कार्धण ारक को िारी की गई व्यश्सतगत पहिाि सांख्या (वपि) या वपि के रूप में कार्धण ारक द्वारा ििीु गई कोई भी सांख्या, के वल कार्धण ारक को ही ज्ञात होगी और कार्धण ारक के व्यश्सतगत उपयोग के ललए है और गरै-हस्तातां रर्ीय और पर्तणू ः गोपीय है। वपि िांबर का ललखखत ररकर्ण ककसी भी रूप, स्थाि या तरीके से िहीं रखा िािा िादहए िो ककसी तीसरे पक्ष द्वारा इसके उपयोग की सववधाु प्रदाि कर सकता है।

वपि ककसी भी तीसरे पक्ष को, बकैं के कमिण ाररयों को या व्यापाररक प्रनतष्ठािों को, ककसी भी पररश्स्थनत में या ककसी भी तरह से, िाहे वह स्वैश्छिक हो या अन्यथा प्रकर् िहीं ककया िािा िादहए।

7. कार्धण ारक का कार्ण खाता ककसी भी निकासी की रालश से तरांतु र्बेबर् कर ददया िाएगा, कार्ण के उपयोग से प्रभाववत स्थािांतरर् और अन्य लेिदेि। कार्धण ारक बाए रखगे ा ऐसे ककसी भी लेिदेि को पराू करि के ललए अपि स्मार्ण पे कार्ण में पयाणप्त धिरालश।
 8. कार्धण ारक स्मार्ण पे कार्ण पर उपलब्ध ककसी भी शेष रालश से अधधक स्मार्ण पे कार्ण का उपयोग करके धि निकालि का हकदार िहीं होगा।
 9. कार्धण ारक कार्ण के उपयोग से प्रभाववत लेिदेि के ललए श्मिेदार होगा, िाहे कार्धण ारक द्वारा अधधकृत या िहीं, और ककसी भी िकसािु या क्षनत के खखलाफ एशससस बकैं को क्षनतपनतणू करेगा कार्ण या सांबांधत वपि के ककसी भी अधधकृत उपयोग के कारर्, श्िसमें उत्पन्ि होिे वाली कोई भी दांर्ात्मक कारणवाई शालमल है भारतीय ररिवण बकैं के ददशा-निदेशों अथवा ववदेशी मद्राु के अांतगतण बाए गए नियमों के ककसी उललांघि के कारर्
- प्रबांधि अधधनियम 1999 या उस समय भारत में लागू कोई अन्य काििू, इसके बाविदू इस समझौते की समाशप्त।
10. आपसे अिरोधु है कक स्मार्ण पे कार्ण इांधगत ककए गए महीिे/वषण के अांततम ददि तक वैध है। आप एतद्वारा स्मार्ण पे कार्ण की अवधध समाप्त होिे पर उसे कई रुकडों में कार्कर िप्र करि का विि देते हैं। आपका िवीिीकृत स्मार्ण पे कार्ण कार्ण कार्ण की समाशप्त से पहले एशससस बकैं के वववेक पर, आपके कार्ण खाते के सांिालि के मलयांकि पर आपको भेिा िाएगा। एशससस बकैं समाशप्त पर आपके कार्ण को िवीिीकृत करि का एकमात्र अधधकार सरक्षक्षतु रखता है।

11. प्रीपेड कार्ड में अंतिम लेनदेन की तिथि से 10 वर्ष की अवधि के दौरान कोई भी अप्रयुक्त या नहीं निकाली गई शेष राशि डिपॉजिटर एजुकेशन एवं अवेयरनेस फंड (DEAF) में ट्रांसफर कर दी जाएगी। बकें प्रीपेर् भगतांु खाते में बकाया रालश की ककसी भी िब्ती से पहले ग्राहक को मोबाइल िांबर पर एसएमएस और/या ईमेल आईर्ी पर ईमेल द्वारा िो ग्राहक द्वारा सेवाओं के उपयोग के ललए प्रदाि ककया िाता है, 45 ददि का अधग्रम सांिार भेिेगा।
12. कार्धण ारक को प्रीपेर् भगतांु खाते में बकाया शेष रालश को भािेु की अिमनतु दी िाएगी, यदद ककसी कारर् से योििा को बांद ककया िा रहा है या आरबीआई द्वारा बांद करि का निदेश ददया गया है।
13. कार्धण ारक किप्रो मद्राु की खरीद के ललए कार्ण का उपयोग िहीं करेगा

व्यापारी प्रनतष्ठाि उपयोग

1. यह कार्ण भारत में व्यापाररक प्रनतष्ठािों के सभी इलेसरॉनिक पॉइंर्-ऑफ-सेल र्मिमिण ल पर स्वीकार ककया िाता है, िहां वीज़ा/मास्रकार्ण/रुपे लोगो प्रदलशतण होता है।
2. कार्ण के वल इलेसरॉनिक उपयोग के ललए है और के वल ि व्यापाररक प्रनतष्ठािों में स्वीकार ककया िाएगा िो एक इलेसरॉनिक पॉइंर्-ऑफ-सेल स्वाइप र्मिमिण ल है। इलेसरॉनिक उपयोग को िोडकर कार्ण का कोई भी प्रयोग अधधकृत मािा िाएगा और ऐसे लेिदेिों के ललए कार्धण ारक परीू तरह से श्मिेदार होगा। कृपया िोर् करें कक मिंर् प्रनतष्ठािों में इलेसरॉनिक पॉइंर्-ऑफ-सेल स्वाइप र्मिमिण लों पर स्मार्ण पे कार्ण के उपयोग के ललए वपि की आवचयकता िहीं है।
3. िब भी कार्ण का उपयोग व्यापाररक प्रनतष्ठािों में ककया िाता है तो आपको िािण श्लप पर हस्ताक्षर करि िादहए और िािण श्लप की अपी प्रनत अपि पास रखि िादहए. एशससस बकें िािण श्लप की प्रनतयां प्रस्ततु िहीं करेगा। कोई भी शलकु पि िो आपके द्वारा व्यशसतगत रूप से हस्ताक्षररत िहीं है, लेककि श्िसे साबबत ककया िा सकता है, िैसा कक आपके द्वारा अधधकृत ककया िा रहा है, को आपकी देयता मािा िाएगा।

स्मार्ण पे कार्ण भारत में ककसी भी वीज़ा/मास्त्रकार्ण/रुपे मिर् प्रनतष्ठाि में स्वीकार ककया िाता है। एशससस बकैं मिर् द्वारा आपके साथ ककए गए ककसी भी लेिदेि के ललए कोई श्मिमेदारी स्वीकार िहीं करेगा, श्िसमें प्राप्त की गई या पेश की गई वस्तओंु और सेवाओं की आपनतणू शालमल है, लेककि इन्हीं तक सीलमत िहीं है। यदद आपको ककसी वीज़ा/मास्त्रकार्ण/रुपे कार्ण मिर् प्रनतष्ठाि से सांबांधधत कोई लशकायत है, तो आपको मिर् प्रनतष्ठाि के साथ मामले को हल करि िादहए और ऐसा करि में ववफलता आपको एशससस बकैं के ककसी भी दानयत्व से मसतु िहीं करेगी।

5. एशससस बकैं ककसी भी व्यापाररक प्रनतष्ठाि द्वारा लेिदेि के मलयू /लागत से अधधक और उससे अधधक लगाए गए ककसी भी शलकु के ललए कोई श्मिमेदारी स्वीकार िहीं करता है और साथ ही आपके कार्ण खाते से रेबबर् ककया िाता है। लेि-देि की रालश।

6. माल/सेवाओं को रद्द करि के ललए खरीद और उसके बाद का िे डर् दो अलग-अलग हैं लेिदेि। धिवापसी के वल आपके कार्ण खाते में िमा की िाएगी (रद्दीकरर् शलकु कम) और िब यह व्यापारी से प्राप्त होता है। यदद धिवापसी के ददि से 30 ददिों के भीतर िे डर् आपके कार्ण खाते में पोस् िहीं ककया िाता है, तो आपको व्यापारी से िे डर् िोर् की एक प्रनत के साथ एशससस बकैं को सधितू करि होगा।

7. कार्ण का उपयोग ककसी मले ऑर्रण/फोि खरीद के ललए िहीं ककया िािा िादहए और इस तरह का कोई भी उपयोग ककया िाएगा अधधकृत मािा िाता है।

8. कार्ण का उपयोग ववदेशी पबत्रकाओं/पबत्रकाओं की सदस्यता के भगतािु के ललए िहीं ककया िािा िादहए और ऐसे ककसी भी उपयोग को अधधकृत मािा िाएगा।

कार्ट बैलेंस और एसिपायरी

1. कार्ग कार्ग तैयार होने की तारीख से 5 (पाँच) वर्ष की अवधि के लिए वैध है। स्मार्ग पे

कार्ग महीने के अंनतम ददि तक वैध है िसा कक कार्ग पर समाश्ट नतधध में दशाणया गया है।

3. कार्ग की समाश्ट की तारीख को या उसके बाद धारक द्वारा खरीदे गए बकें के एक िए समाि भगतािु साधि में ककसी भी बकाया रालश के हस्तांतर की अिमनतु दी िा सकती है।

4. आपके कार्ग में अधधकतम बकाया रालश ककसी भी समय रु. 1,00,000 से अधधक िहीं हो सकती है।

एर्रीएम उपयोग

1. कार्ग भारत में सभी एशससस बकें एर्रीएम और वीज़ा/मास्रकार्ग/रुपे एर्रीएम* पर स्वीकार ककया िाता है।

2. एशससस बकें के एर्रीएम से सभी प्रकार की िकद आहरर्ों के लिए, आहरर् के समय एर्रीएम द्वारा िारी ककए गए ककसी भी ववरर् / रसीद को निर्ाणयक मािा िाएगा, िब तक कक बकें द्वारा अन्यथा सत्यावपत और सधितू ि ककया गया हो। इस तरह का कोई भी सत्यापि अंनतम और निर्ाणयक होगा और यह सत्यावपत रालश कार्धण ारक के लिए बाध्यकारी होगी।

3. एशससस बकें ककसी भी सवे ा को प्रदाि करि या ककसी भी दानयत्व को पराू करि में ववफलता के लिए उत्तरदायी िहीं होगा

इसके तहत िहां ऐसी ववफलता एर्रीएम या कार्ग की ककसी भी खराबी, धि की अस्थायी अपयाणप्तता, ककसी भी वववाद या इसके नियांत्र से परे अन्य पररशस्थनतयों के कारर् (िाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से) हो।

4. एर्रीएम सेवाओं की उपलब्धता सांबांधित सेवा प्रदाता द्वारा प्रावधानि के अधीन है और एशससस बकें उत्तरदायी िहीं होगा यदद इ सेवाओं को बबि ककसी सिंाू के वापस ले ललया िाता है।

* आपके स्मार्ण पे कार्ण पर वीज़ा/मास्त्रकार्ण/रुपे एर्रीएम तक पहांि बकें और कां पी के बीि सहमत नियमों और शतों के असारु प्रदाि की िाती है। **कार्ट निक्ष्ियता**

1. यदद एक वषण की लगातार अवध के ललए कोई ववत्तीय लेिदेि िहीं ककया िाता है तो कार्धण ारक को सधितू करि के साथ बकें द्वारा कार्ण को निश्ष्िय कर ददया िाएगा।

2. बकें शाखाओं और/या िालमत व्यवसाय प्रनतनिधधयों द्वारा ग्राहक द्वारा सत्यापि के बाद ही कार्ण को पिःु सकिय ककया िा सकता है।

3. ऐसे कार्ण भारतीय ररज़वण बकें को उिके अिदेशोंु के असारु सधितू ककए िाएंगे

शलकु

1. एशससस बकें कार्धण ारक को पवणू सिंाू के बबि बाद की तारीख में शलकु लगािे का अधधकार सरक्षक्षतु रखता है।

इस तरह की फीस, यदद कोई हो, और इसललए लगाई गई है, कार्धण ारक पर आपके कार्ण खाते से रेबबर् की िाएगी एशससस बकें की मौिदाू दर पर अिमोदि /िवीिीकरर्। ये शलकु वापसी योग्य िहीं हैं। अन्य सेवाओं के ललए भी इसी तरह की दरें लागू होंगी।

2. आप विि देते हैं कक आप ककसी भी अवैध खरीद के ललए भगतािु करि के ललए कार्ण का उपयोग िहीं करेंगे अथाणत उि वस्तुओंु /सेवाओं की खरीद के ललए श्िकी भारतीय ररज़वण बकें द्वारा मौिदाू ववनियमों के असारु अिमनतु िहीं है।

3. ििकद निकासी/शेष रालश की पितािू और/या िहां भी लागू हो, के ललए लेिदेि शलकु होगा

िकद आहरर्/शेष रालश की पितािू पोस् करि के समय कार्ण खाते से रेबबर् या िहां भी लागू हो।

4. स्मार्ण पे कार्ण के उपयोग पर लागू प्रभार/शलकु एशससस बकैं द्वारा समय-समय पर कार्धण ारक को पवणू सिंाू ददए बबिा सांशोधधत/पररवनततण ककए िा सकते हैं।
5. एशससस बकैं समय-समय पर कार्ण पर लागू रेबबर् लोडर्गा/वावषकण/िवीिीकरर् शलकु और अन्य सेवा शलकु का अधधकार सरक्षक्षतु रखता है।
6. एशससस बकैं कार्ण के बांद होिे/रद्द करि/सववधाु वापस लेिे के समय कार्ण पर लागू बकाया रालश को पर्ण या आंलशक रूप से रेबबर् करि का अधधकार सरक्षक्षतु रखता है।

शलकु वववरण	स्मार्टपे कार्ट
वैधता	5 वषण
िकद निकासी	हाँ
िारी करि का शलकु	200 रु
वावषकण शलकु :	200 रु
लोर् हो रहा है शलकु	20 रु
कार्ण बदलिा	100 रु
मोिि शलकु	100 रु
एर्ीएम िकद निकासी शलकु- श्मिमेदारी	शान्यू
एर्ीएम िकद निकासी शलकु- ऑफस- प्रनत माह पााि लेिदेि मफ्तु	20 रु
गैर-ववत्तीय लेिदेि - श्मिमेदारी - बैलेंस पितािू, लमी स्ेर्मेर्, वपि रीसेर्	शान्यू
गैर-ववत्तीय लेिदेि - ऑफस - बैलेंस पितािू , लमी स्ेर्मेर्, वपि रीसेर् - प्रनत माह पााि लेिदेि मफ्तु	10 रु

स्मार्ट पे कार्ट की ववशेषताएं

बकैँ समय-समय पर, अपि वववेक से, ववलभन्ि एिेंलसयों के साथ गठिड कर सकता है आपके स्मार्ण पे कार्ण की ववशेषताएं। ये सभी सववधाएँ के वल सवोत्तम प्रयासों के आधार पर होंगी, और बकैँ ककसी भी सेवा प्रदाता/व्यापारी/आउर्लेर्/एिेंलसयों द्वारा प्रस्ताववत ककसी भी उत्पाद या

सेवा की प्रभावकारिता, दक्षता, उपयोगिता की गारंटी या वारंटी नहीं देता है। वववाद (यदद कोई हो) बकैं को शालमल ककए बबि सीधे व्यापारी/ऐंसी आदद के साथ उठाया िािा िादहए।

जािकारी का प्रकरीकरण

1. एशससस बकैं द्वारा अिरोध ककए िािे पर, आप एशससस बकैं द्वारा आवचयक समझे िािे वाले ककसी भी मामले से सांबांधत कोई भी िािकारी, ररकॉर्ण या प्रमार् पत्र प्रदाि करेंगे। आप एशससस बकैं को ककसी भी माध्यम से या िो भी स्रोत से आवचयक समझे िािे वाले िािकारी की सत्यता को सत्यावपत करि के ललए अधधकृत करेंगे। यदद र्ेर्ा प्रदाि िहीं ककया गया है या गलत है, तो एशससस बकैं अपि वववेक पर कारण के िीीीकरर् से इिकार कर सकता है या कारण को तरांतु रद्द कर सकता है।
2. एशससस बकैं सक्षम के ककसी भी न्यायालय में ग्राहक िािकारी का खलासाु करि का अधधकार सरक्षक्षतु रखता है। क्षेत्राधधकार, अधण-न्यानयक प्राधधकरर्, काििू प्रवतिण ऐंलसयां और कें द्रीय सरकार या राज्य सरकार।
3. एशससस बकैं अन्य सांस्था को कार्धण ारक के खाते से सांबांधत ऐसी िािकारी का खलासाु करि का अधधकार सरक्षक्षतु रखता है, िो ककसी भी इलेसरॉनिक फां र् रांसफर िेर्वकण में इसकी भागीदारी के सांबांध में आवचयक या उपयसतु हो सकती है।

खोया या चोरी हुआ कार्ट

1. स्मार्ण पे कारण के खोिे या िोरी होिे पर तरांतु एशससस बकैं को सधितू ककया िािा िादहए। हालांकक आपातकालीि सांपकण िांबर के माध्यम से िकसािु या िोरी की सििाू दी िा सकती है, आपको िलद से िलद एशससस बकैं को ललखखत रूप में इसकी पश्रु करी िादहए। स्वीकृत पललसु लशकायत की एक प्रनत उसत ललखखत पश्रु के साथ होिी िादहए।

2. आप एतद्वारा एशससस बकैं को ककसी भी देयता (लसववल या आपराधधक), हानि, लागत, व्यय या क्षनत के खखलाफ परीू तरह से क्षनतपनतणू करते हैं िो कार्ण के िकसािु या दरुपयोग के कारर् उत्पन्ि हो सकती है यदद यह खो गया है और एशससस बकैं को सधितू िहीं ककया गया है या एशससस बकैं को सधितू करि से पहले खो गया है और दरुपयोग ककया गया है।
3. बशते आपि सभी मामलों में नियमों और शतों का अिपालि ककया हो, एक प्रनतस्थापि कार्ण लागू शलकु पर एशससस बकैं के वववेकाधधकार पर िारी ककया िा सकता है।
4. यदद आप बाद में कार्ण को पिप्राणप्त करते हैं, तो इसका उपयोग िहीं ककया िा सकता है। कृपया कार्ण को िबकीयां पट्टी के माध्यम से कई रूकडों में कार्कर िप्र करें।

कथि और ररकॉर्ट

1. कार्धण ारक एशससस बकैं फोि पर कॉल करके ककसी भी समय अपि लेिदेि का वववरर् प्राप्त कर सकता है। बकैंकांग सेवा या एशससस बकैं के एर्ीएम में लमि स्ेर्मेर् सववधाु का उपयोग करि। कार्धण ारक एशससस बकैं द्वारा प्रदाि की िािि वाली इांरिर् बकैंकांग सववधाु आई-किसर्™ का उपयोग करके भी अपि वववरर् ऑलाइि देख सकता है।
2. एशससस बकैं का कार्ण के उपयोग से सांसाधधत लेिदेि का ररकॉर्ण निर्ाणयक होगा और सभी उद्देचयों के ललए बाध्यकारी।

वववादों

खरीद लेिदेि के मामले 1.1n, कार्धण ारक के हस्ताक्षर के साथ एक िािण श्लप और उस पर िोर् ककए गए कार्ण िांबर के साथ एशससस बकैं और कार्धण ारक और एशससस बकैं द्वारा वहि की गई देयता की सीमा के रूप में कार्धण ारक िहीं होगा। यह सनिश्चितु करि के ललए आवचयक है कक कार्धण ारक िे सेवा की खरीद/लाभ उठाया गया सामाि प्राप्त कर ललया है। कार्धण ारक की सांतश्रु के ललए लाभ उठाया।

2. एशससस बकैं पीडडत कार्धण ारक के समाधाि के ललए वास्तववक और उधित प्रयास करेगा खाता वववरर् में इंधगत लागू शलकु के साथ असहमनत या अन्यथा असहमनत की सििाू प्राप्त होिे के दो महीिे के भीतर ग्राहक द्वारा निधानररत। यदद इस तरह के प्रयास के बाद एशससस बकैं यह निधानररत करता है कक शलकु सही है, तो वह कार्धण ारक को इसकी सििाू देगा।
3. एशससस बकैं कार्ण का सम्माि करि के ललए ककसी भी प्रनतष्ठाि के इिकार के ललए कोई श्मिमेदारी स्वीकार िहीं करता है।
4. इस समझौते को भारत के काििोंू के असारु और शालसत ककया िाएगा। सब वववाद मांबडु , भारत के न्यायालयों के अन्य क्षेत्राधधकार के अधीि हैं, भले ही सया ककसी अन्य न्यायालय के पास इस मामले में समवती क्षेत्राधधकार हो सकता है।
5. कार्धण ारक बकाया रालश के सांग्रह से िडीु सभी लागतों के ललए उत्तरदायी होगा, काििीू व्यय (सया मामले को ककसी एिेंर् को सांदलभतण करि आवचयक हो िािा िादहए), या िहां वववाद के समाधाि में काििीू सांसाधिों का उपयोग ककया गया है।

िामान्य

1. आप अपि रोिगार और/या कायाणलय में ककसी भी बदलाव के बारे में एशससस बकैं को तरांतु ललखखत रूप में सधितू करेंगे और/या आवासीय पता और र्ेलीफोि िांबर।
2. एशससस बकैं ककसी भी नियम और शतों, िीनतयों को िोडि, हर्ािे या बदलि का अधधकार सरक्षक्षतु रखता है, कार्धण ारक को िोदर्स पर ववशेषताएं और लाभ। स्मार्ण पे कार्ण का उपयोग उस तारीख के बाद ककया िाता है श्िस पर इमें से कोई भी पररवतिण प्रभावी होता है, कार्धण ारक द्वारा ऐसे पररवतिण ों के आरक्षर् के बबि, स्वीकृनत का प्रमार् मािा िाएगा

3. र्क द्वारा यहां भेी गई कोई भी सिाू कार्ण ारक को प्राप्त हुई मािी िाणी अधधसिाू पोस् करि से 7 ददिं के भीतर कार्ण ारक द्वारा ललखखत रूप में एशससस बकें को ददए गए पते पर। ऐसे माध्यम से पररवतिण ों का प्रकाशि िैसा कक एशससस बकें उधित समझे, कार्ण ारक को प्रभावी िोदर्स का गठि करेगा।

4. यदद कोई कार्ण ारक, कार्ण का उपयोग करके, उपलब्ध कार्ण शेष रालश से अधधक रालश निकालता है कार्ण ारक एशससस बकें को ब्याि के साथ परीू रालश का बबिा शतण भगतािु करेगा और

िमाणिु , यदद कोई हो, तो एशससस बकें द्वारा तय की िािे वाली दर पर। हालांकक इसे एक समझौते के रूप में िहीं मािा िािा िादहए, या तो व्यसत या निदहत है कक एशससस बकें ककसी भी ओवरड्राफ्ट सववधाु को देिे के ललए बाध्य है।

एशससस बकें कार्ण ारकों को िू र् िैसे लाभ प्रदाि करि वाले तीसरे पक्ष द्वारा दी िािे वाली वस्तुओं और सेवाओं की गर्वत्ताु के बारे में कोई प्रनतनिधधत्व िहीं करता है। यदद सेवा ककसी भी तरह से कम या अन्यथा असांतोषिक है तो एशससस बकें श्मिेदार िहीं होगा।

शशकायते, अधधकृत लेिदेि और ग्राहक शशकायते

ककसी भी अधधकृत लेिदेि के ललए बकें या ग्राहक की देयता होगी:

1. ग्राहक की शन्यू देयता- शन्यू देयता के ललए ग्राहक की पात्रता उत्पन्ि होगी िहां अधधकृत लेिदेि निम्िललखखत तरीके से होता है:

(ए) बकें की ओर से अांशदायी धोखाधडी/लापरवाही/कमी (भले ही ग्राहक द्वारा लेिदेि की सिाू दी गई हो या िहीं)

(ख)ततीय पक्ष उललांघि िहां कमी ि तो बकें के साथ है और ि ही ग्राहक के साथ है, लेककि लसस्म में कहीं और निदहत है, और ग्राहक अधधकृत लेिदेि के बारे में बकें से सांार प्राप्त करि के तीि कायण ददवसों के भीतर बकें को सधितू करता है।

2. ग्राहक की सीलमत देयता- ग्राहक के कार्ड होठे वाली हानि के ललए ग्राहक उत्तरदायी होगा निम्लिलखखत मामलों में अधधकृत लेठिदेठि:

(ए) ऐसे मामलों में ठिहां ठिकसाठु ग्राहक द्वारा लापरवाही के कार्ड होता है, ठैसे कक ठिहां उसि साझा ककया है

भगताठु ठिे रेठंलशयल, ग्राहक तब तक पराठू ठिकसाठु वहि करेगा ठिब तक कक वह अधधकृत की ररपोर्ण ठिहीं करता

बकें को लेठिदेठि। अधधकृत लेठिदेठि की ररपोदरठिंग के बाद होठे वाली ककसी भी हानि को बकें द्वारा वहि ककया ठिाएगा।

(बी) ऐसे मामलों में ठिहां अधधकृत इलेसरॉनिक बकेंकांग लेठिदेठि की शठिम्मेदारी ठि तो बकें के पास है और ठि ही ग्राहक के पास है, लेककि लसस्रम में कहीं और है और ठिब ऐसे लेठिदेठि के बारे में बकें को सधितू करि में ग्राहक की ओर से देरी (बकें से साठिार प्राप्त करि के बाद ठिार से सात कायण ददवसों का) होती है, ग्राहक की प्रनत लेठिदेठि देयता लेठिदेठि मलयू या 10,000/- रुपये, ठिो भी कम हो, तक सीलमत होगी।

3. यदद ग्राहक अधधकृत लेठिदेठि के बारे में बकें से साठिार प्राप्त करि के सात कायण ददवसों के बाद बकें को सधितू करता है, तो ग्राहक की देयता बकें बोर्ण द्वारा अिमोददतु ठिीनत के असारु निधाणररत की ठिाएगी। बकें बोर्ण द्वारा अिमोददतु ठिीनत के असारु बकें का मलयांकिू और निधाणरर करेगा

समथिण के ललए, www.axisbank.com/support पर ठिाएं

वद्धधू वववरर के ललए, एशससस बकें की वेबसाइर (www.axisbank.com) पर ठिाएं और बकें के माध्यम से

ठिाएं

आप हमारे कस्रमर के यर सववसण ठिांंबर 022-67987777 से भी सांपकण कर सकते हैं.

4. बकैं डि ग्राहकों को एर्ीएम िकद निकासी के अलावा इलेसरॉनिक लेिदेि की सववधाु प्रदाि िहीं करेगा, िो बकैं को वैध मोबाइल िबां र प्रदाि िहीं करते हैं।
5. आपके निदेशों के सभी ररकर्ण और ऐसे अन्य वववरर् (भगतािु सदहत लेककि सीलमत िहीं हैं (क) के असरर्ु में इलेसरॉनिक या दस्तावेिी रूप में बकैं द्वारा अिरक्षक्षतु या प्राप्त ककए गए यहां नियम और शतें, आपके खखलाफ, इस तरह के निर्ाणयक साक्ष्य के रूप में मािी िाएंगी निदेश और इस तरह के अन्य वववरर्।
6. ररपोर्ण करि के समय और/या खाते पर ककए गए लेिदेि/लेिदेिों या उसत खाते के सांबांध में ककसी अन्य मामले से सांबांधधत ककसी भी वववाद के मामले में, बकैं वववाददत लेिदेि के समय और/या प्रामाखर्कता का पता लगािे का अधधकार सरक्षक्षतु रखेगा और तीसरे पक्ष की धोखाधडी के कारर् आपके कार्ण खाते में अधधकृत लेिदेि के मामले में आपकी देयता या िहां आपि धोखाधडी के ललए योगदाि िहीं ककया है, वसीयत (ख) अधधकृत इलेसरॉनिक बकैंकांग लेिदेिों में ग्राहकों की सीलमत देयता पर बकैं अिमोददतु बोर्ण िीनत के असारु ग्राहक सरक्षाु के ललए ककए गए ददशा-निदेशों के असारु लाइसेंस प्राप्त करि के ललए समय-समय पर ववनियमों में ककए गए कोई भी पररवतिण लागू होंगे और उस समय बाध्यकारी होंगे।

िमाक्तत

1. एशससस बकैं स्मार्ण पे कार्ण या ककसी भी अन्य सेवाओं को बबिा ककसी पवणू सििाू के और बबिा कोई कारर् बताए ककसी भी समय रद्द / वापस लेिे का अधधकार सरक्षक्षतु रखता है।
2. यदद कार्धण ारक अपिी स्मार्ण पे कार्ण सववधाु समाप्त करि का निर्यण लेता है, तो िारी ककया गया कार्ण स्वतः रद्द हो िाएगा। कार्धण ारक को तरांतु अपि कार्ण का उपयोग करि बांद कर देिा िादहए और स्मार्ण पे कार्ण को िर् करि और वापस करि िादहए। ककसी भी बकाया कार्ण लेिदेि के मामले में, श्िसे अभी तक कार्ण खाते में र्ेबबर् िहीं ककया गया है, एशससस बकैं द्वारा उसे अपि धि वापस करि से पहले शेष रालश से शद्धु कर ददया िाएगा।

3. यदद कार्धण ारक स्मार्ण पे कार्ण के उपयोग को समाप्त करि का निर्यण लेता है, तो कार्धण ारक एशससस बकैं को ललखखत रूप में कम से कम 7 ददि पवणू सिंाू देगा और मैग्िेदरक शस्रप के माध्यम से कई रुकुडों में कार्े गए कार्ण और ककसी भी अनतररसत कार्धण ारक कार्ण (यदद आवचयक िहीं है) को एशससस बकैं को वापस कर देगा। कार्धण ारक द्वारा इि नियमों और शतों की प्रयोज्यता की समाश्रत के बाविदू कार्धण ारक द्वारा कार्ण को िप्र करि का दावा करि के बाद स्मार्ण पे कार्ण पर होिे वाली सभी कार्ण सववधाओंु और सांबांधधत शलकोंु के ललए श्मिमेदार होगा। स्मार्ण पे कार्ण पर लगाए गए सभी प्रभारों के ललए कार्धण ारक श्मिमेदार होगा, िाहे वह दरुपयोगु /कपर्णू प्रयोग का पररराम हो या िहीं और बकैं को कार्ण िप्र ककए िािे के बारे में सधितू ककया गया हो या िहीं।

4. स्मार्ण पे कार्ण एशससस बकैं की सांपवत्त है और अिरोधु पर तरांतु और बबिा शतण एशससस बकैं के एक अधधकारी को वापस कर ददया िािा िादहए। कृपया सनिश्चितु करें कक अपिा कार्ण सौपि से पहले बकैं अधधकारी की पहिाि आपके द्वारा स्थावपत की गई है।

5. एशससस बकैं तत्काल प्रभाव से स्मार्ण पे कार्ण सववधाु को समाप्त करि का हकदार होगा और निम्िललखखत में से ककसी भी घर्िा के होिे पर कार्ण वापस कर ददया िाएगा:

- i) यहां निधानररत नियमों और शतों का पालि करि में ववफलता।
- ii) एशससस बकैं के साथ ककए गए समझौते या प्रनतबद्धता (आकश्रमक या अन्यथा) के तहत िकू की घर्िा।
- iii) कार्धण ारक ककसी भी ददवाललयापि, ददवाललयापि कायवण ाही या समाि प्रकृनत की कायवण ाही का ववषय बि िाता है।
- iv) कार्धण ारक की मत्तु ।ु

6. स्मार्ण पे कार्ण को एशससस बकै को उस तारीख से पहले वापस कर ददया िािा िादहए, श्िस पर कोई भी बदलाव प्रभावी होिा है, कार्धण ारक द्वारा कार्ण पर लागू सववधाओं, शुलक या नियमों और शतों में से ककसी भी प्रस्ताववत पररवतिण को अस्वीकार करि के मामले में।

7. कार्धण ारक को वपिले 6 के ललए कॉपोरेट से कार्ण में कोई िे डर् िहीं लमला है (क) सया यह सि है कक कार्ण पर उपलब्ध शेष रालश शन्यू है और/अथवा वाषक प्रभारों से कम है। कार्धण ारक से वसलू ककए िािे पर, बकै बबिा ककसी पवणू सिािू के और बबिा कोई कारर बताए ककसी भी समय प्रदाि की िािे वाली कार्ण या ककसी भी अन्य सेवा को रद्द / वापस लेिे का अधधकार सरक्षक्षतु रखता है

शािकीय काििू और क्षेिाधधकार

ये नियम और शतें और/या लेि-देि भारतीय काििू द्वारा शालसत होंगे और मांबडू की सभी अदालतों के पास कार्ण के उपयोग से उत्पन्ि होिे वाले ककसी भी दावे या मामलों के सांबांध में ववशेष क्षेत्राधधकार होगा।